

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

:: संकल्प ::

पटना-15, दिनांक-28/11/2010


विषय:-बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग की संख्या और संरचना का निर्धारण।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-6070, दिनांक-04.06.2008 एवं 5349, दिनांक-08.06.2009 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के संवर्गीय पदों एवं उनकी संख्या निर्धारित एवं चिन्हित हैं :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान्	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	निदेशक स्तर	रु0 16,400-20,000	04
2	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष	रु0 14,300-18,300	68
3	उप सचिव/अपर समाहर्ता एवं समकक्ष	रु0 12,000-16,500	355
4	अवर सचिव/अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष	रु0 10,000-15,200	687
5	मूल कोटि	रु0 6,500-10,500	1684
6	प्रशिक्षण सुरक्षित	रु0 6,500-10,500	80
	कुल पद बल		2878

2. बिहार प्रशासनिक सेवा को राज्य सरकार ने "प्रीमियर सेवा" का दर्जा दिया है। अतः आवश्यक है कि बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन कर इस सेवा के सदस्यों को नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर अपेक्षाकृत कम आयु में पदस्थापित होकर कार्य करने के बेहतर अवसर प्रदान किया जाए। राज्य पुनर्गठन के पश्चात् बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग की संख्या एवं संरचना की समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य बेसिक ग्रेड के पदों पर अत्यधिक लम्बी अवधि तक पदस्थापित रहने के कारण उच्चतर पद अर्थात् अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोन्नति के पदों पर जब पदस्थापित होते हैं तो उनकी आयु अधिक होने के कारण क्षेत्रीय प्रशासन में युवा तथा परिश्रमी पदाधिकारियों की कमी रहती है और उनकी प्रशासनिक क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है।

3. उपर्युक्त समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक समझा गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन कर इस सेवा के सदस्यों को नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर अपेक्षाकृत कम आयु में पदस्थापित होकर कार्य करने के बेहतर अवसर प्रदान किया जाय।


28/11/09

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करने के काम में निम्न निर्णय लिये जाते हैं :-

(1) पुनर्गठित बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए संवर्गीय पदों की संख्या एवं संरचना निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (अपुनरीक्षित)	पदों की संख्या	कालावधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मूल कोटि (अनुमंडल पदाधिकारी/ वरीय उप समाहर्ता एवं समकक्ष)	रु० 8,000 - 13,500	273	-	संलग्न अनुसूची 'क' के अनुसार
2	उप सचिव एवं समकक्ष	रु० 10,000 - 15,200	176	5 वर्ष	संलग्न अनुसूची 'ख' के अनुसार
3	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष	रु० 12,000 - 16,500	159	5 वर्ष	संलग्न अनुसूची 'ग' के अनुसार
4	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष	रु० 14,300 - 18,300	131	5 वर्ष	संलग्न अनुसूची 'घ' के अनुसार
5	अपर सचिव एवं समकक्ष	रु० 16,400 - 20,000	48	2 वर्ष	संलग्न अनुसूची 'च' के अनुसार
6	विशेष सचिव एवं समकक्ष	रु० 18,400 - 22,400	24	-	संलग्न अनुसूची 'छ' के अनुसार
7	प्रशिक्षण/अवकाश रक्षित (कुल संवर्ग बल 811 का @ 5%)	रु० 8,000 - 13,500	40		
	कुल पद बल -		851		

(2) बिहार प्रशासनिक सेवा में प्रथम नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष ग्रेड में वेतनमान रु० 8,000-13,500/- (अपुनरीक्षित) में होगी। इस कोटि में अनुमंडल पदाधिकारी के अतिरिक्त जिला समाहरणालयों में वरीय उप समाहर्ता के वर्तमान में उपलब्ध चिन्हित पद तथा कुछ अन्य पद शामिल करते हुए पदबल की संख्या निर्धारित किये गए हैं, तदनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा भर्ती नियमावली एवं बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा नई भर्ती/संवर्ग सेवा नियमावलियों का गठन किया जायेगा।

(3) बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के अधिकारी, प्रखंड/अंचल/नगर निगम/नगर निकाय एवं प्राधिकार आदि में पदस्थापित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार चकबंदी/बंदोबस्त/आपूर्ति/निर्वाचन तथा अन्य सभी विभागों के वेतनमान रु० 8,000-13,500/- (अपुनरीक्षित) के समकक्ष या इससे नीचे के पदों पर पदस्थापन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी बेसिक ग्रेड पर रहते हुए विभिन्न विभागों के उपर्युक्त पदों (प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी सहित) पर कार्य कर रहे हैं, को चरणबद्ध ढंग से हटा लिया जायेगा।

(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप निर्धारित पदबल अधिसूचित करेगा तथा पूर्व से चिन्हित शेष पदों को विभिन्न विभागीय संवर्गों से प्रोन्नति द्वारा भरने के लिए उपलब्ध समझा जाएगा जिसके लिए सभी संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर नियमावली बना लेंगे या संशोधित कर लेंगे। उपर्युक्त कंडिका-(1) में क्रमांक 1 के पदों के लिए पूर्व में

28/1/10

चिह्नित वेतनमान रु0 10,000-15,200(अपुनरीक्षित) के पदों को अवक्रमित किया जाता है तथा क्रमांक 3, 4 एवं 5 के कुछ पद उप सचिव / अपर समाहर्ता के नाम से चिह्नित हैं को उत्क्रमित एवं पदनाम में परिवर्तन किया जाता है। अवक्रमित/उत्क्रमित/सृजित पदों को अनुसूची-‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’, ‘च’ एवं ‘छ’ में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में जितने पदों को इस सेवा संवर्ग में चिह्नित किया गया है यदि पूर्व से उक्त पद सृजित नहीं हों तो उन्हें सृजित/पदनामित करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

(5) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा में 25% पदों को भरने की व्यवस्था तुरत के प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु चली आ रही अग्रणीत रिक्तियाँ तत्कालिक प्रभाव से समाप्त समझी जायेंगी। किन्तु न्यायालय के आदेश से जिन ऐसी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है, उसे जारी रखा जाएगा।

(6) जब तक अन्य विभागीय संवर्गों में प्रोन्नति हेतु चिह्नित पदों पर उस संवर्ग के निम्नतर ग्रेड में कार्यरत अधिकारी निर्धारित कालावधि पूर्ण कर प्रोन्नत नहीं हो जाते हैं, तब तक उन सेवाओं के पदों पर पूर्व की भाँति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी औपबंधिक रूप से पदस्थापित किए जाते रहेंगे।

5. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी। प्रथम नियुक्ति के पश्चात् संस्थागत प्रशिक्षण के कम में उन्हें राज्य एवं देश के उत्कृष्ट प्रशिक्षक, प्राध्यापक एवं प्रबंधकों के द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी तथा उनकी जानकारी एवं प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिये उन्हें देश के विभिन्न उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिलाने तथा देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण हेतु भ्रमण कराने के लिये भी व्यवस्था करायी जायेगी। इसी प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवाकाल में नियमित अवधि पर उत्कृष्ट कोटि के सेवाकालीन लघु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ताकि वे प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान तथा विशेषज्ञता प्राप्त कर वरीय पदों को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर सकें।

6. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों के अवक्रमण/उत्क्रमण /सृजन अथवा पदाधिकारियों की पदस्थापना के क्रम में इस संक्रमण अवधि में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्य मंत्री प्राधिकृत होंगे।

7. यह आदेश 01.04.2010 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

राजीव लोचन
(राजीव लोचन)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-12/नि0-1004/08 का0- 942 /पटना-15, दिनांक- 25. 1. 2010

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

21/1/2010

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-12/नि0-1004/08 का0- 942 /पटना-15, दिनांक- 25. 1. 2010

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/2010

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-12/नि0-1004/08 का0- 942 /पटना-15, दिनांक- 25. 1. 2010

प्रतिलिपि:-सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/लोकायुक्त, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी, टी0सी0एस0 (आई0डब्लू0डी0एम0एस0 सॉफ्टवेयर पर प्रकाशित करने हेतु) मुख्य सचिवालय, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ बोर्ड/निगम/उपक्रमों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

21/1/2010

सरकार के विशेष सचिव।

अनुसूची - (क)


बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के वेतनमान (रू० 8,000-13,500 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

- (1) अनुमंडल पदाधिकारी - 97
- (2) समाहरणालय में वरीय उप समाहर्ता - 176

पटना	-	10
नालंदा	-	05
रोहतास	-	05
कैमूर	-	03
भागलपुर	-	05
बक्सर	-	03
गया	-	08
नवादा	-	04
जहानाबाद	-	03
अरवल	-	02
औरंगाबाद	-	04
सारण	-	06
सिवान	-	06
गोपालगंज	-	04
मुजफ्फरपुर	-	08
सीतामढ़ी	-	05
शिवहर	-	02
मोतिहारी	-	07
बेतिया	-	06
वैशाली	-	06
दरभंगा	-	07
मधुबनी	-	07
समस्तीपुर	-	07
सहरसा	-	03
सुपौल	-	04
मधेपुरा	-	03
पूर्णियाँ	-	05
अररिया	-	04
किशनगंज	-	03
कटिहार	-	05
भोजपुर	-	05
बाँका	-	03
मुंगेर	-	03
लखीसराय	-	02
शेखपुरा	-	02
जमुई	-	03
खगड़िया	-	03
बेगुसराय	-	05
		176

- (3) प्रशिक्षण/अवकाश रक्षित -

40
कुल योग - 313


२०११

अनुसूची - (ख)

बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान

(रु0 10,000-15,200 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1.	उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	-	01
2.	उप सचिव, गृह विभाग	-	01
3.	उप सचिव, वित्त विभाग	-	01
4.	उप सचिव, कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग	-	01
5.	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	01
6.	उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	-	01
7.	उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	01
8.	उप सचिव, विधि विभाग	-	01
9.	उप सचिव, जल संसाधन विभाग	-	01
10.	उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग	-	01
11.	उप सचिव, समाज कल्याण विभाग	-	01
12.	उप सचिव, अनु0जाति/जनजाति कल्याण विभाग	-	01
13.	उप सचिव, पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	-	01
14.	उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग	-	01
15.	उप सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	-	01
16.	उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	01
17.	उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	-	01
18.	उप सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग	-	01
19.	उप सचिव, ऊर्जा विभाग	-	01
20.	उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	-	01
21.	उप सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	-	01
22.	उप सचिव, पर्यटन विभाग	-	01
23.	उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग	-	01
24.	उप सचिव, नगर विकास विभाग	-	01
25.	उप सचिव, उद्योग विभाग	-	01
26.	उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग	-	01
27.	उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	-	01
28.	उप सचिव, कृषि विभाग	-	01
29.	उप सचिव, सहकारिता विभाग	-	01
30.	उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	-	01
31.	उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग	-	01
32.	उप सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	-	01
33.	उप सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग	-	01
34.	उप सचिव, वाणिज्यकर विभाग	-	01

(Handwritten Signature)

35. उप सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	—	01
36. उप सचिव, पथ निर्माण विभाग	—	01
37. उप सचिव, भवन निर्माण विभाग	—	01
38. उप सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग	—	01
39. उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग	—	01
40. उप सचिव, परिवहन विभाग	—	01
41. उप सचिव, पंचायती राज विभाग	—	01
42. उप सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	—	01
43. उप सचिव, निगरानी विभाग	—	01
44. उप सचिव, निर्वाचन विभाग	—	01
45. नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय पटना	—	03
46. नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय गया	—	01
47. नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय सारण	—	01
48. नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय मुजफ्फरपुर	—	02
49. नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय दरभंगा	—	01
50. नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय सहरसा	—	01
51. नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय पूर्णियाँ	—	01
52. नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय भागलपुर	—	01
53. नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय, मुंगेर	—	01
54. जिला आपूर्ति पदाधिकारी	—	25
55. उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना	—	01
56. जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम—		25
57. उप निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग	—	01
58. जिला परिवहन पदाधिकारी	—	17
59. उप परिवहन आयुक्त (मुख्यालय)	—	01
60. उप निदेशक (प्रशासन), मानव संसाधन विकास विभाग—		01
61. सहायक निदेशक, (मुख्यालय), पंचायती राज विभाग —		01
62. <u>जल संसाधन विभाग</u>		
(i) सचिव, सोन कमान्ड एरिया विकास प्राधिकार, पटना—		01
(ii) सचिव, काडा, भागलपुर	—	01
(iii) सचिव, कोशी कमान्ड एरिया विकास प्राधिकार, सहरसा—		01
63. <u>मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</u>		
(i) प्रशासी पदाधिकारी, नगर विमानन शाखा	—	01
(ii) उप निदेशक, उर्दू (राजभाषा शाखा)	—	01
(iii) मंत्री के आप्त सचिव	—	26
64. सहायक निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	—	01
65. <u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>		
(i) उप निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन	—	02
(ii) सचिव, नगर निगम	—	07

28/1/10

66. सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय (वित्त विभाग) - 02
 67. उप निदेशक, पर्यटन (पर्यटन विभाग) - 01
 68. विशेष दंडाधिकारी, निगरानी (मुख्यालय), निगरानी विभाग- 02
 69. उप सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग - 02
 कुल-176

उपर्युक्त सूची क्रमांक-1 से 44 तक के पदों में से अवर सचिव पदनाम से 25 (पच्चीस) एवं खाद्यायुक्त के सचिव पदनाम से 01 (एक) पद सृजित एवं चिन्हित हैं, जिन्हें उप सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है तथा शेष 18 (अठारह) पद सृजित/चिन्हित किया जाता है।

क्रमांक-45 से 53 तक नगर दंडाधिकारी के 12 (बारह) पदों को कार्यपालक दंडाधिकारी के पूर्व से चिन्हित पदों से उत्क्रमित किया जाता है। ये सभी पद floating होंगे। सूची क्रमांक-56 के 25 (पच्चीस) पद एवं क्रमांक-62 के 03 (तीन) पद पूर्व से रू0 12,000-16,500 में चिन्हित हैं, को वेतनमान रू0 10,000-15,200 में अवक्रमित किया जाता है तथा सूची क्रमांक-65 (ii) सचिव, नगर निगम के 07 (सात) पद मूल कोटि के वेतनमान में पूर्व से चिन्हित हैं, जिन्हें वेतनमान रू0 10,000-15,200 में उत्क्रमित किया जाता है।

✍
21/11/10

अनुसूची-(ग)

बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान
(रू० 12,000-16,500 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	-	28
2. अपर समाहर्ता (प्रत्येक जिला के लिए)	-	38
3. अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) (सभी प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलों के लिए)	-	09
4. अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम (पटना/गया/भोजपुर/रोहतास/नालंदा/औरंगाबाद/जहानाबाद/नवादा/जमुई)	-	09
5. अपर समाहर्ता, (आपदा प्रबंधन) (सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/शिवहर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिम चम्पारण/ वैशाली/मधुबनी/समस्तीपुर/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया/किशनगंज/कटिहार/ मुंगेर एवं बेगुसराय)	-	18
6. अपर जिला दंडाधिकारी, आपूर्ति, पटना	-	01
7. अपर जिला दंडाधिकारी, पटना	-	01
8. विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना	-	01
9. उप निदेशक, खाद्य (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	-	09
10. उप निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय	-	01
11. आयुक्त के सचिव (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	-	09
12. <u>पंचायती राज विभाग</u> (i) उप निदेशक, पंचायती राज (प्रत्येक प्रमंडल के लिए) (ii) अनुश्रवण पदाधिकारी	-	09
13. क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	-	01
14. संयुक्त सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (ऊर्जा विभाग)	-	09
15. महाप्रबंधक, बिहार स्टेट विवरेजेज कॉरपोरेशन (निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)	-	02
16. संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)-09 (परिवहन विभाग)	-	03
17. संयुक्त सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग	-	02
		कुल-159

क्रमांक-3 : अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) का 01 (एक) पद पूर्व से सृजित एवं चिन्हित है। शेष 08 (आठ) पद सृजित किया जाता है।

क्रमांक-4 : अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम के 09 (नौ) पद के विरुद्ध अपर समाहर्ता, नक्सल पदनाम से 06 (छह) पद पूर्व से सृजित हैं। शेष 03 (तीन) पद जहानाबाद, नवादा एवं जमुई के लिए सृजित करते हुए सभी 09 (नौ) पदों को अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम के रूप में पदनामित किया जाता है।

क्रमांक-9 : उप निदेशक (खाद्य) के 03 (तीन) पद पूर्व से सृजित एवं चिन्हित हैं। शेष 06 (छह) पदों (मगध/सारण/मुंगेर/दरभंगा/पूर्णिया एवं सहरसा प्रमंडल के लिये) का सृजित किया जाता है।

क्रमांक-16 : संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का 08 (आठ) पद पूर्व से सृजित एवं चिन्हित है। मुंगेर प्रमंडल के लिए 01 (एक) पद सृजित किया जाता है।

21.11.0


अनुसूची-(घ)

बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान
(रु0 14,300-18,300 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1	संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	-	03
2	<u>मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</u> (राजभाषा शाखा)		
	(i) संयुक्त सचिव	-	01
3	संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय	-	04
4	संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय	-	02
5	<u>निर्वाचन विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	-	01
	(ii) संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	-	01
6	संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग	-	03
7	<u>गृह विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव, (गृह विशेष)	-	02
	(ii) संयुक्त सचिव, (गृह आरक्षी)	-	02
	(iii) संयुक्त सचिव-सह-निदेशक प्रशासन, (गृह कारा)	-	01
8	<u>वित्त विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	-	03
	(ii) संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा	-	02
	(iii) संयुक्त सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो शाखा	-	02
	(iv) संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय बचत शाखा	-	01
9	<u>योजना एवं विकास विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	-	01
	(ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)	-	01
	(iii) संयुक्त सचिव, योजना पर्सद	-	01
10	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	04
11	<u>पंचायती राज विभाग</u>		
	(i) संयुक्त निदेशक-संयुक्त सचिव	-	01
	(ii) संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)	-	01
	(iii) संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)	-	01
	(iv) संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (विधि)	-	01

A
29/1/10

12	नगर विकास एवं आवास विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	—	02
	(ii) संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त निदेशक	—	01
	(iii) अपर नगर आयुक्त, (नगर निगम)	—	21
	(पटना/मुजफ्फरपुर/गया/दरभंगा/भागलपुर/नालंदा/भोजपुर)		
	(प्रत्येक के लिए तीन पद)		
13	समाज कल्याण विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	—	02
	(ii) संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)	—	02
	(iii) संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण	—	02
14	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	—	02
	(ii) प्रबंध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम	—	01
15	स्वास्थ्य विभाग		
	संयुक्त सचिव	—	03
16	मानव संसाधन विकास विभाग		
	संयुक्त सचिव	—	03
17	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त निदेशक	—	01
18	गन्ना उद्योग विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	—	02
	(ii) संयुक्त निदेशक	—	01
19	पर्यावरण एवं वन विभाग		
	संयुक्त सचिव	—	02
20	बिहार लोक सेवा आयोग		
	संयुक्त सचिव	—	01
21	जल संसाधन विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	—	03
22	लघु जल संसाधन विभाग		
	संयुक्त सचिव	—	02
23	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	—	03
24	आपदा प्रबंधन विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	—	02
25	श्रम संसाधन विभाग		
	संयुक्त सचिव	—	01



25/1/10

26	<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	02
	(ii) निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण	—	01
27	<u>पथ निर्माण विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) विशेष पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव	—	02
28	<u>भवन निर्माण विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
29	<u>संसदीय कार्य विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
30	<u>परिवहन विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त परिवहन आयुक्त	—	02
31	<u>राजस्व पर्षद</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
32	<u>पर्यटन विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त पर्यटन निदेशक	—	01
	(iii) महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	—	01
33	<u>कला, संस्कृति एवं युवा विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
34	<u>लोकायुक्त कार्यालय</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
35	<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	01
36	व्यवस्थापक, बेतिया राज (राजस्व पर्षद)	—	01
37	<u>सहकारिता विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (मुख्यालय)	—	01
38	<u>कृषि विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	—	01
	(ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	—	01
39	<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	—	02

A
29/1/12

40	<u>ऊर्जा विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	-	01
41	<u>ललित नारायण मिश्रा इन्स्टीच्यूट आर्थिक विकास संस्थान, पटना</u>		
	कुल सचिव	-	01
42	<u>बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम</u>		
	(i) प्रमुख अधिप्राप्ति	-	01
	(ii) प्रमुख, वित्त	-	01
	(iii) प्रमुख, प्रशासन	-	01
43	<u>बिहार राज्य आवास बोर्ड</u>		
	(i) भू-सम्पदा पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव	-	01
	(ii) राजस्व पदाधिकारी	-	01
44	<u>श्रम संसाधन विभाग</u>		
	संयुक्त श्रमायुक्त, प्रवासी श्रमिक कोषांग बिहार भवन, दिल्ली	-	01
45	संयुक्त सचिव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार	-	<u>01</u>
	कुल-		131

उपरोक्त सभी पद वेतनमान् रू0 12,000-16,500 में स्वीकृत एवं चिन्हित हैं, जिन्हें संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान् रू0 14,300-18,300 में उत्कमित किया जाता है।


28/11/10

अनुसूची-(च)

बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान
(रु० 16,400-20,000 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1	निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव	-	01
2	निदेशक-सह-अपर सचिव, राजभाषा	-	01
3	निदेशक-सह-अपर सचिव, भू-अर्जन (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	-	01
4	निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव (कृषि विभाग)	-	01
5	अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	-	01
6	अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय	-	01
7	अपर सचिव, गृह विभाग	-	01
8	अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग	-	01
9	अपर सचिव, वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त शाखा)	-	01
10	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	01
11	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u> (i) नगर आयुक्त (मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ, आरा एवं गया)	-	06
12	अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	-	01
13	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग	-	02
14	निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव (मानव संसाधन विकास विभाग)	-	01
15	अपर सचिव, उद्योग विभाग	-	01
16	अपर निदेशक, उद्योग विभाग	-	01
17	अपर सचिव-सह-अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (मुख्यालय) (सहकारिता विभाग)	-	01
18	अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	-	01
19	अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग	-	01
20	अपर निदेशक, नियोजन (श्रम संसाधन विभाग)	-	01
21	अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	01
22	अपर सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग	-	01
23	अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग	-	01
24	अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	-	01
25	अपर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	-	01
26	अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	-	01
27	अपर सचिव, परिवहन विभाग	-	01

Handwritten signature
28/1/10

28	संयुक्त निदेशक, चकबंदी (पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ)	—	04
29	बंदोबस्त पदाधिकारी (पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं दरभंगा)	—	06
30	निदेशक (उर्दू) (राजभाषा विभाग)	—	01
31	सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड	—	01
32	सचिव, विश्वास बोर्ड	—	01
33	सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग	—	01
34	सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग	—	<u>01</u>
		कुल —	48

वेतनमान् रू० 14,300—18,300 में पूर्व से चिन्हित 68 (अडसठ) पदों में से 48 (अड़तालिस) पद को वेतनमान् रू० 16,400—20,000 में अपर सचिव एवं समकक्ष के रूप में उत्क्रमित किया जाता है।

R
28/1/50

अनुसूची-(छ)बिहार प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव (वेतनमान 18,400-22,400 अपुनरीक्षित)
के संवर्गीय पदों की सूची

1	विशेष सचिव, वित्त विभाग	-	01
2	विशेष सचिव, गृह विभाग	-	01
3	विशेष सचिव, निगरानी विभाग	-	01
4	विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग	-	01
5	विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	01
6	विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	01
7	विशेष सचिव, उद्योग विभाग	-	01
8	विशेष सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग	-	01
9	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदा0--सह-विशेष सचिव, निर्वाचन विभाग	-	01
10	विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	-	01
11	विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग	-	01
12	विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग	-	01
13	विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	-	01
14	विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग	-	01
15	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग, वित्त एवं विकास निगम	-	01
16	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	-	01
17	सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग	-	01
18	सचिव, राज्य सूचना आयोग	-	01
19	सचिव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार	-	01
20	सचिव, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग	-	01
21	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम	-	01
22	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग	-	01
23	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम	-	01
24	प्रबंध निदेशक, टेक्स्टबुक कमिटी	-	<u>01</u>
	कुल -		24

वेतनमान् रू0 18,400-22,400 में पूर्व से कोई पद चिन्हित नहीं है। इसके लिए पूर्व से वेतनमान् रू0 14,300-18,300 में चिन्हित 68 (अड़सठ) पदों में से अतिरिक्त शेष बचे 20 (बीस) पदों एवं पूर्व से वेतनमान् रू0 16,400-20,000 में चिन्हित 4 (चार) पदों को लेते हुए कुल 24 (चौबीस) पदों को वेतनमान् रू0 18,400-22,400 में उत्क्रमित किया जाता है।

Sc
29/1/10